सीजीएचसी:5814:डीबी :2012

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील क्रमांक 220/2011

अपीलार्थी /याचिकाकर्ता: भगत सिंह यादव

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंड पीठ को अपील) अधिनियम, 2006 **की धारा** 2(1) **के अंतर्गत**

रिट अपील

(युगल पीठ: माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दूसी और माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्तिगण)

उपस्थित: श्री विनोद देशमुख, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री विनय हरित, राज्य/उत्तरवादी के लिए उप महाअधिवक्ता।

निर्णय (मौखिक)

(13 **जून**, 2012 **को पारित)**

डॉ. आई.एम. कुद्दूसी, न्यायमूर्ति द्वारा,

यह रिट अपील दिनांक 01-04-2011 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यू.पी.एस. क्रमांक 1504/2008 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रिट अपीलार्थी को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 22वीं बटालियन में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन दिनांक 27-04-1998 को कमांडेंट, 22वीं बटालियन, माना, रायपुर द्वारा इस आधार पर सेवा से हटा दिया गया था कि उसने अपनी चरित्र सत्यापन स्तंभ क्रमांक 12 में एक भौतिक तथ्य छुपाया था कि उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अंतर्गत दांडिक प्रकरण क्रमांक 61/1997 दर्ज किया गया था, जिसके विरुद्ध उसने रिट अपील क्रमांक 13521/2003 दायर की थी, जिसे 20 जुलाई, 2005 को इस अवलोकन के साथ निपटाया गया था कि रिट अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलील को ध्यान में रखते हुए कि रिट अपीलार्थी को उसके विरुद्ध दांडिक प्रकरण की लंबितता के बारे में भी जानकारी नहीं थी और न ही उसे पुलिस ने उस तारीख तक गिरफ्तार किया था जब उसने चरित्र सत्यापन प्रपत्र जमा किया था, जो दिनांक 14-11-1997 को जमा किया गया था। रिट अपीलार्थी को इस तथ्य के बारे में तब सूचित किया गया जब समन जारी करके अभियोग पत्र जमा किया गया था। न्यायालय ने आगे देखा कि अनुलग्नक आर-3 दिनांक 29-12-1998 के परिशीलन पर, यह पाया गया है कि वर्तमान रिट अपीलार्थी की विभागीय अपील बिना किसी ठोस कारण के खारिज कर दी गई है। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक(एडीजीपी) ने विभागीय अपील का निर्णय करते समय अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया और यदि ऐसी स्थिति है, तो उस न्यायालय का यह विचार था कि मामले का निपटारा करते समय वह ठोस कारण बताने के लिए बाध्य था, और इसलिए, विभागीय अपील में पारित आदेश को वर्तमान रिट अपीलार्थी के प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ करते हुए फिर से निर्णय लेने के निर्देश के साथ अपास्त किया गया था, इस सरल कारण से कि धारा 323/34, 325/34 और 504 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र भ.द.स प्रस्तुत किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के रुख पर भी विचारार्थ किया जा सकता है कि जिस तारीख को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता ने चरित्र सत्यापन प्रपत्र जमा किया था, उसे अभियोग पत्र दायर करने की जानकारी नहीं थी। विभागीय अपील का निर्णय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचारार्थ किया जा सकता है और आवश्यक आदेश पारित किया जा सकता है। इसके बाद, विभागीय अपील को पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक, रायपुर द्वारा दिनांक 24-08-2006 के आदेश से स्वीकार किया गया, लेकिन उसे सेवा में बहाल करते हुए 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के आधार पर वेतन से वंचित कर दिया गया।

3. वेतन/मजदूरी के बकाया से इनकार के विरुद्ध, रिट अपीलार्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट अपील दायर की जो डब्ल्यू.पी.एस. क्रमांक 1504/2008 के रूप में पंजीकृत थी, लेकिन उसे दिनांक 01-04-2011 के आदेश से खारिज कर दिया गया, इसलिए वर्तमान रिट अपील ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान देने योग्य है कि रिट अपीलार्थी को इस आधार पर सेवा से हटा दिया गया था कि उसने चरित्र सत्यापन प्रपत्र में उसके विरुद्ध दर्ज एक दांडिक प्रकरण के तथ्य को छुपाया था। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पहले ही देखा था कि जब उसने चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरा था, तो उसे उसके विरुद्ध प्रकरण के पंजीकरण की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन तथ्य यह है कि सेवा से हटाने का आदेश जारी करने से पहले कोई विभागीय जाँच नहीं की गई थी।

5. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 दंडों के साथ-साथ दंड लगाने की प्रक्रिया भी बताता है। नियम 10 (ए) प्रासंगिक है, जिसे इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

> **10. शास्तिया :-** उचित और पर्याप्त कारणों से तथा इसके बाद दिए गए प्रावधानों के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित किये जा सकते हैं, अर्थात्:-

लघु शास्तियाँ :-

(i) XXXXX XXXX XXXX

(ii) XXXXX XXXX XXXX

(iii) XXXXX XXXX XXXX

मुख्य शास्तियाँ :-

XXXXX XXXX XXXX

XXXXX XXXX XXXX

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(**viii**) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए अयोग्यता का कारण नहीं होगी;

6. नियम 14(1) भी प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:

14. **मुख्य शास्तियाँ अधिरोपित करने की प्रक्रिया:** (1). नियम 10 के खंड (पाँच) से (नौ) में निर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को भी लागू करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस नियम और नियम 15 में दिए गए तरीके से या लोक सेवक (जाँच) अधिनियम, 1850 (क्र. 37 सन् 1850) द्वारा दिए गए तरीके से जाँच न की जाए, जहां ऐसी जाँच उस अधिनियम के तहत की जाती है।

7. इसलिए, नियम 10 के खंड (पाँच) से (नौ) में निर्दिष्ट किसी भी शास्ति को बिना किसी जाँच के नहीं लगाया जा सकता है।

8. रिट अपीलार्थी को दोषी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार था, लेकिन यह संबंधित प्राधिकारी था जिसने उसे हटाने के आदेश के कारण अनुमति नहीं दी। इसलिए, हमें यह देखना होगा कि ऐसी परिस्थितियों में उसके वेतन/मजदूरी के बकाया को अस्वीकार करने का कारण क्या है।

9. **दीप्ति प्रकाश बनर्जी बनाम सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कलकत्ता और अन्य**, **(1999) 3 एससीसी 60** में प्रकाशित प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुरुषोत्तम लाल ढिंगरा बनाम भारत संघ, एआईआर 1958 एससी 36, उड़ीसा राज्य बनाम राम नारायण दास, एआईआर 1961 एससी 177, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1974) 2 एससीसी 831, गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर संघ, (1980) 2 एससीसी 593, पंजाब राज्य बनाम सुख राज बहादुर, एआईआर 1968 एससी 1089 और ए.जी. बेंजामिन बनाम भारत संघ, (1967) 1 एलएलजे 718 (एससी) के प्रकरणों पर विचार किया है। दीप्ति प्रकाश बनर्जी के प्रकरण (पूर्वोक्त) में यह माना गया है कि अधिकारी की पीठ के पीछे, कदाचार के संबंध में एक हष्टिरात्र में, या बिना नियमित विभागीय हष्टिरात्र के, निष्कर्षों पर पहुंचा गया है, समाप्ति के साधारण आदेश को आरोपों पर "आधारित" माना जाना है और यह बुरा होगा। हालाँकि, यदि हष्टिरात्र नहीं की गई, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया और नियोक्ता हष्टिरात्र करने के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन साथ ही, वह उस कर्मचारी को जारी नहीं रखना चाहता था जिसके विरुद्ध शिकायतें थीं, यह केवल एक प्रेरणा का प्रकरण होगा और आदेश बुरा नहीं होगा। यदि नियोक्ता नियमित विभागीय कार्यवाही में देरी के कारण या पर्याप्त सबूत हासिल करने के बारे में संदेह होने के कारण आरोपों की सच्चाई की हष्टिरात्र नहीं करना चाहता था, तो स्थिति समान है। ऐसी परिस्थिति में, आरोप एक प्रेरणा होंगे और नींव नहीं, और समाप्ति का साधारण आदेश वैध होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान उप महाधिवक्ता ने **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम कौशल किशोर शुक्ला,** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि पर भरोसा किया है, जो **(1991) 1 एससीसी 691** में प्रकाशित है, जिसमें यह माना गया है कि एक अस्थायी शासकीय सेवक को पद धारण करने का कोई अधिकार नहीं है और उसकी सेवाओं को सुसंगत सेवा नियमों और सेवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

11. सेवा नियमों की शर्तें पहले ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में उल्लेखित हैं। 1966 के अलावा अन्य नियम जो पहले ही ऊपर चर्चा किए जा चुके हैं और इसलिए, बिना जाँच किए किसी व्यक्ति को सेवा से हटाना उन नियमों के अनुसार बुरा है। सिद्धांतो के मद्देनजर, **कौशल किशोर शुक्ला (पूर्वोक्त)** में निर्धारित विधि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से अलग है। सेवा से हटाने का आदेश में कलंकपूर्ण प्रकृति का नहीं था।

12. विद्वान उप महाधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि रिट अपीलार्थी की सेवाएं सेवा नियमों की सामान्य शर्तों, 196 द्वारा शासित था। बेशक, उसकी सेवाओं को उन नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, लेकिन सेवा से हटाते समय, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अनुच्छेद 311 के खंड (1) और (2) में भी यह उल्लेख किया गया है कि संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य कोई भी व्यक्ति या संघ या राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति को उस प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था। ऐसा कोई भी व्यक्ति, जैसा कि ऊपर कहा गया है, को बर्खास्त या हटाया या पदवनत नहीं किया जाएगा, सिवाय उस जाँच के बाद जिसमें उसे उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उसे उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।

14. विद्वान उप महाधिवक्ता ने **पवनेंद्र नारायण वर्मा बनाम संजय गांधी पीजीआई ऑफ मेडिकल साइंसेज और अन्य** के प्रकरण पर भी भरोसा किया है; जो **(2002) 1 एससीसी 520** में प्रकाशित किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 10 और 21 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैं:

"10 चूंकि ढिंगरा का मामला भारतीय सिविल सेवकों का मैग्ना कार्टा है, हालांकि इसने विभिन्न न्यायिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया है, और नए कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि और अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के लिए इसे एक सरल, व्यावहारिक सूत्र में ढालना कठिन है, इसलिए हमने ढिंगरा मामले के तथ्यों का उल्लेख करना उचित समझा है ताकि यह समझा जा सके कि न्यायालय द्वारा कही गई बात का वास्तव में क्या अर्थ थाः (एआईआर पी. 49,82)

"यह सत्य है कि कदाचार, लापरवाही, अक्षमता या अन्य अयोग्यताएँ रोजगार अनुबंध या विशिष्ट सेवा नियम के तहत सरकार को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने वाला कारण या प्रेरक कारक हो सकती हैं, फिर भी, यदि अनुबंध या नियमों के तहत सेवा समाप्त करने का अधिकार मौजूद है, तो सरकार के मन में जो भी उद्देश्य हो, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश चागला ने श्रीनिवास गणेश बनाम भारत संघ (एन) (पूर्वोक्त) मामले में कहा है, वह पूरी तरह असंगत है। संक्षेप में, यदि सेवा समाप्ति अनुबंध या सेवा नियमों से प्राप्त अधिकार पर आधारित है, तो प्रथम दृष्टया, सेवा समाप्ति एक दंड नहीं है और इसके कोई बुरे परिणाम नहीं होते हैं, इसलिए अनुच्छेद 311 लागू नहीं होता है। लेकिन भले ही सरकार को अनुबंध या नियमों के तहत बर्खास्तगी, पदावनति या पदोन्नति में कमी की सजा देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना रोजगार समाप्त करने का अधिकार हो, फिर भी सरकार कर्मचारी को दंडित करने का विकल्प चुन सकती है और यदि सेवा समाप्ति कदाचार, लापरवाही, अक्षमता या अन्य अयोग्यता पर आधारित है, तो यह एक दंड है और अनुच्छेद 311 की आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. जैसा कि अलगरिसवामी, जे. ने एस.पी. वासुदेवा बनाम हरियाणा राज्य, एससीसी, पृष्ठ 240 में अवलोकित किया है: (एससीसी कंडिका 5)

"आखिरकार, किसी भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वह परिवीक्षाधीन हो या अस्थायी, को मनमाने ढंग से, बिना किसी कारण के बर्खास्त या पदावनत नहीं किया जा सकता। यदि बर्खास्तगी या पदावनति के सभी मामलों में कारण का पता लगाया जाए, तो यह भेद

करना मुश्किल होगा कि कौन सी कार्रवाई केवल बर्खास्तगी या पदावनति है और कौन सी सजा के रूप में है। विधि में पूरी स्थिति काफी भ्रामक है।"

15. दुर्भाग्य से, यह एक ऐसा प्रकरण है जहाँ रिट अपीलार्थी को विभागीय जाँच किए बिना उस आधार पर जो सेवा समाप्ति का कारण नहीं था सेवा से हटा दिया गया था। जाहिर है, ऊपर बताए गए कदाचार के संबंध में आधार का उल्लेख किया गया है, इसलिए, **पवेंद्र नारायण वर्मा (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में प्रतिपादित विधि का सिद्धांत भी वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है।

16. वेतन बकाया के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **आयुक्त, कर्नाटक आवास बोर्ड बनाम सी. मुद्देया, (2007) 7 एससीसी 689** में प्रकाशित किया है मै अभिनिर्धारित किया कि वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में भी, सामान्य नियम "कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं" है। हालांकि, उचित प्रकरणों में, विधि की न्यायालय को सभी तथ्यों को उनकी समग्रता में ध्यान में रखना चाहिए और विधि के अनुरूप एक उचित आदेश पारित करना चाहिए। न्यायालय, एक दिए गए प्रकरण में, यह मान सकती है कि व्यक्ति काम करने को तैयार था लेकिन उसे अवैध रूप से और विधिविरुद्धतया रूप से ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। न्यायालय परिस्थितियों में, प्राधिकरण को "जैसे कि उसने काम किया था" पर विचारार्थ करते हुए उसे सभी लाभ देने का निर्देश दे सकती है। इसलिए, यह विधि के एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि परिणामिक लाभों के भुगतान का कोई निर्देश विधि की न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता है और यदि ऐसे निर्देश न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं, तो प्राधिकरण उन्हें अनदेखा कर सकता है, भले ही उन्हें अंततः देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई हो। (जैसा कि उस प्रकरण में किया गया है)।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सोमेश तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य** के प्रकरण में; **(2009) 2 एससीसी 592** में प्रकाशित किया गया है, कि कंडिका 22, 23 और 24 में अभिनिर्धारित गया है जो इस प्रकार हैं:

"22. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार के मामले में "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सामान्य नियम का यांत्रिक अनुप्रयोग पूर्णतः अन्यायपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इस संबंध में कोई भी पूर्ण विधि सिद्धांत प्रतिपादित नहीं की जा सकती।

23. इस न्यायालय ने, कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड बनाम सी. मुद्देया [(2007) 7 एससीसी 689] में विधि इस प्रकार प्रतिपादित कियाः-

"33. इस मामले को एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। यह सत्य है कि किसी पक्षकार के पक्ष में राहत प्रदान करते समय न्यायालय को विधि के सुसंगत प्रावधानों पर विचार करना चाहिए और ऐसे प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्देश जारी करने चाहिए। हालांकि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, न्यायालय न्याय, निष्पक्षता और सद्भावना के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए न्याय के व्यापक हित में आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। एक ऐसे मामले पर विचार करें, जहां एक कर्मचारी के साथ स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ है। इस तथ्य के बावजूद कि वह कुछ लाभों का हकदार है, उसे वे लाभ नहीं दिए गए हैं। उसकी अभ्यावेदनों को अवैध रूप से और अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। वह अंततः न्यायालय का रुख करता है। न्यायालय इस बात से आश्वस्त है कि उसके साथ घोर अन्याय हुआ है और उसे गलत तरीके से, अनुचित रूप से और कुटिल इरादे से उन लाभों से वंचित किया गया है। न्यायालय, इन परिस्थितियों में, प्राधिकरण को उन सभी लाभों को प्रदान करने का निर्देश देता है जो उसे प्राप्त होते यदि उसे अवैध रूप से उनसे वंचित नहीं किया गया होता। क्या ऐसे मामले में प्राधिकरणों के लिए यह तर्क देना उचित है कि चूंकि उसने काम नहीं किया है (लेकिन उसे अवैध रूप से वंचित माना गया है), इसलिए वह लाभों का हकदार नहीं होगा? क्या इन लाभों को प्रदान किया जाना चाहिए? इस प्रकार की दलील को स्वीकार करना किसी पक्ष को अपने ही अन्याय का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुचित लाभ उठाने की अनुमति देने के समान होगा। यह पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय करने के बजाय अन्याय को बढ़ावा देगा।

34. हम इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि वैधानिक प्रावधान के अभाव में भी सामान्य नियम 'काम नहीं तो वेतन नहीं' है। हालांकि, उपयुक्त मामलों में, न्यायालय सभी तथ्यों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए, विधि के अनुरूप उचित आदेश पारित कर सकता है, बल्कि उसे ऐसा करना ही चाहिए। न्यायालय किसी विशेष मामले में यह मान सकता है कि व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक था, लेकिन उसे अवैध और विधि विरुद्ध रूप से काम करने से रोका गया। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय प्राधिकरण को निर्देश दे सकता है कि उसे 'मानो उसने काम किया हो' के आधार पर सभी लाभ प्रदान किए जाएं। अतः, यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि परिणामिक लाभों के भुगतान का कोई निर्देश न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता है, और यदि न्यायालय द्वारा ऐसे निर्देश जारी किए जाते हैं, तो प्राधिकरण उन्हें अनदेखा कर सकता है, भले ही उन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से पुष्टि कर दी गई हो (जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है)। अतः अपीलार्थी बोर्ड का तर्क निराधार है और इसे में कोई सार नहीं है और यह खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(बल दिया गया)

24. हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक ओर अपीलार्थी ने अहमदाबाद में अपनी पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया, यद्यपि कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया था, और दूसरी ओर उत्तरवादीगण के अधिकारियों का पूर्णतः अनुचित और निंदनीय आचरण देखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि न्याय के हित में यह उचित होगा कि 28 दिसंबर, 2005 से भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि के दौरान अपीलार्थी को अवकाश पर माना जाए और उत्तरवादीगण को इस संबंध में लागू अवकाश नियमों का हवाला देते हुए उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाए। तदनुसार आदेश दिया जाता है।

18. **भारत संघ बनाम के. वी. जानकीरामन एवं अन्य,** जो **(1991) 4 एससीसी 109** में प्रकाशित किया गया है, के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 25 में प्रतिपादित किया है कि **"**काम नहीं तो वेतन नहीं**"** का सामान्य नियम उन प्रकरणों पर लागू नहीं होता है जहां कर्मचारी काम करने के लिए तैयार होने के बावजूद, उसकी गलती के बिना अधिकारियों द्वारा काम से दूर रखा जाता है। इसे इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> **"**25. हम अधिकारियों की ओर से की गई दलीलों से अधिक प्रभावित नहीं हैं। **"**काम नहीं तो वेतन नहीं**"** का सामान्य नियम वर्तमान मामले के समान मामलों में जहां कर्मचारी काम करने के लिए इच्छुक होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा बिना किसी गलती के काम से दूर रखा जाता है, लागू नहीं होता हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कर्मचारी अपने निजी कारणों से काम नहीं करता है, हालांकि काम उसे दिया जाता है। इसी कारण से एफआर 17(1) भी ऐसे मामले पर लागू नहीं होता।**"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इसलिए, हम इस रिट अपील को स्वीकार करते हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश के साथ-साथ उस भाग को भी अपास्त करते हैं जिसके द्वारा रिट अपीलार्थी को उसकी सेवा से हटाने की तारीख से उसकी बहाली की तारीख तक वेतन का बकाया देने से इनकार कर दिया गया था, इस निर्देश के साथ कि वह वेतन के सभी बकाया प्राप्त करने का पात्र होगा और उस अवधि के दौरान उसके द्वारा कर्तव्य का निर्वहन किया गया माना जाएगा, लेकिन इस शर्त के अधीन कि उस अवधि के दौरान उसने कहीं और लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था।

20. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/- **सही/-**

आई.एम. कुद्दूसी **जी. मिन्हाजुद्दीन**

न्यायमूर्ति **न्यायमूर्ति**

___00___

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Adv. Shruti Navratna